न्यायालय– अवर न्यायाधीश–प्रथम, हाजीपुर (वैशाली)

स्वत्व वाद संख्या–1373/2022

मोस्मात अनिता झा व अन्य बनाम बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार व अन्य

आदेश

09.01.2025 वादिनीगण की हाजरी नहीं है। वादिनीगण की ओर से कई तिथियों से पैरवी नहीं की जा रही है। वादिनीगण को दिनांक–16.10.2023 के आदेश द्वारा मो0 23,400/–रूपया न्यायशुल्क दाखिल करने का आदेश दिया गया, परन्तु वादिनीगण द्वारा उक्त आदेश का पालन समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी आज की तिथि तक नहीं किया गया। आज भी वादिनीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं किया गया है। वाद पुकारा गया। बार–बार पुकार पर वादिनीगण की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि वादिनीगण को यह वाद चलाने में कोई अभिरूची नहीं है। अतः वाद अदम पैरवी एवं पूर्व आदेश का पालन नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

लेखापित

अवर न्यायाधीश–प्रथम
हाजीपुर, वैशाली।

Web Copy not Official